संख्या-01/34 ई-2/तेरह-2015-382/1999

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी,2015

विषय:- मे0 लार्डस आसवनी लि0, नन्दगंज, गाजीपुर की वार्षिक पेय क्षमता 118.80 लाख ब0ली0 किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-134/दो-प्रा0डी0-24/लार्डस आसवनी, दिनांक 08 जनवरी,2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08 जनवरी,2015 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-37/2444 ई-2/तेरह-2014-382/1999, दिनांक 10-12-2014 के अनुक्रम में मे0 लार्डस आसवनी लि0, नन्दगंज, गाजीपुर को अन्य आसवनियों से अल्कोहल क्रय कर बढी हुई क्षमता 118.80 लाख लीटर की सीमा तक पेय मदिरा निर्माण किये जाने हेतु शासन की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
( सुनील कुमार पाण्डेय )
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in